

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 580/2015/जयपुर.

मैसर्स परफैटी वान मेले इण्डिया प्रा0 लिमिटेड,
ई-419, रोड नं0 17, वी.के.आई.ए., जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी, तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर.
2. वाणि. कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन-3, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 11/04/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी-तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 458/अपील्स-III/आरवीएटी/ई/जयपुर/2013-14 में पारित किये गये आदेश दिनांक 12.12.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 25, 61 व 55 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 09.12.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि की गयी है, जबकि धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विभागीय दल द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 11.10.2013 को किया जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा "मेंटोस च्यूई ड्रेगीज, मेंटोस मार्बल्स, एलपेनलिबे मेंगोफिल्स, एलपेनलिबे ओरेंजफिल्स, एलपेनलिबे रिच मिल्की केरेमल टॉफी, एलपेनलिबे लॉलीपॉप, एलपेनलिबे क्रीम स्ट्रॉबेरी आदि" ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी एवं चोको उत्पादों पर वेट अधिनियम की अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 163 के अनुसार 5 प्रतिशत की दर से करदेयता मानते हुए विक्रय किया गया है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त उत्पादों को प्रविष्टि संख्या 163 से भिन्न मानते हुए अनुसूची-V के अनुसार 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य





लगातार.....2

मानते हुए आलौच्य अवधि वर्ष 2013-14 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 09.12.2013 को पारित करते हुए 9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, तदनुसार ब्याज एवं करापवंचन की मंशा मानते हुए धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.12.2014 से आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त करते हुए आरोपित अन्तर कर व ब्याज की पुष्टि की गयी है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर व ब्याज के बिन्दु पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन नं० 473/2011 मैसर्स परफैटी वान मेले प्रा० लि० जयपुर बनाम उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर व वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन-तृतीय, जयपुर निर्णय दिनांक 17.02.2017 का हवाला देते हुए कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी के प्रकरण में ही, जिसके तथ्य हस्तगत प्रकरण के सदृश थे, में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि की गयी है एवं आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है।

5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के कथन से सहमति व्यक्त करते हुए, अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया।

7. हस्तगत प्रकरण के सदृश प्रकरण, स्वयं अपीलार्थी व्यवहारी के ही मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 17.02.2017 पारित करते हुए, विवादित कन्फैक्शनरी आईटम्स पर वेट अधिनियम की अनुसूची-V के अनुसार करदेयता अवधारित करते हुए आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि की गयी है, जबकि धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-





लगातार.....3


"19. In my view, applying the common parlance test which has been held appropriate by the Apex court time and again in matters like this, the products in which the assesseees are dealing, are certainly branded toffees. Taking into consideration the aforesaid reasoning of the Apex court as well as by this court (supra), in my view the finding reached by all the three authorities in unison is well reasoned and no interference is required to be taken into consideration and accordingly while the tax is upheld and consequently the interest being consequential, is also upheld.

20. After taking into consideration the facts noticed, in my view it is not a case where penalty is exigible particularly taking in view the fact that even during the course of survey and after investigation, the only issue remained whether the cases of assesseees fall in one Entry (Schedule-IV), or residuary Entry in Schedule-V and this being a highly debatable issue, the penalty was rightly deleted by the Tax Board. The Apex court in the case of **Sree Krishna Electricals v. State of Tamil Nadu & Another** (2009) 23 VST 249 (SC), has held that in a case like this where entries are to be considered or a case of classification, penalty is not leviable and this court has also taken the same view in **CTO v. M/s. Durgeshwari Food Ltd.** (2012) 32 TUD 3, and **CTO v. M/s. Bambino Agro Industries Ltd.** (2016) 90 VST 22 (Raj). 21. In view of what has been noticed hereinabove, the petitions filed by assesseees and the question framed, is answered in favour of Revenue and against the assesseees."

8. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के आलोक में, अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि करते हुए, धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है।

9. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करते हुए, अपीलीय आदेश दिनांक 12.12.2014 की पुष्टि की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।



(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य



(कें. एल. जैन)
सदस्य